भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3756
11/08/2026 को उत्तर के लिए

मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देना

3756. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश से समुद्री और अंतर्देशीय मछली निर्यात का उत्पाद-वार और गंतव्य देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मत्स्यपालन निर्यात के गुणवत्ता मानकों, अनुरेखणीयता, प्रमाणन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा मूल्यवर्धित मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल की गई है, यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश जैसे प्रमुख मात्स्यिकी उत्पादक राज्यों में झींगा और अन्य जलकृषि उत्पादों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में प्रसंस्करण, शीत श्रृंखला, परीक्षण, प्रमाणन और निर्यातोन्मुखी मात्स्यिकी अवसंरचना के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी अवसंरचना और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मूल्यवर्धन, निर्यात बाजारों के विविधीकरण और निर्यातकों के लिए सहायता प्रदान करके आन्ध्र प्रदेश से समुद्री खाद्य निर्यात को सुदृढ़ करने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 73,891 करोड़ रुपए मूल्य के 19.72 लाख मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का निर्यात किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य निर्यात सहित समुद्री खाद्य उत्पादों के उत्पाद-वार और देश-वार निर्यात का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

वाणिज्य विभाग के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC), समुद्री उत्पादों सहित अधिसूचित निर्यात उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी है। आयातक देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, EIC खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) की आवश्यकताओं पर समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करता है और निर्यात प्रमाणन के दौरान संवर्धित झींगे में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स की जांच को अनिवार्य बनाता है। MPEDA हार्वेस्ट से पहले की जांच SHAPHARI प्रमाणन कार्यक्रम और तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) तथा EIC के साथ मिलकर अवशेषों की निगरानी, ट्रैसेबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (NRCP) के कार्यान्वयन के माध्यम से इन प्रयासों को सहायता प्रदान करता है।

मत्स्यपालन विभाग PMMSY के माध्यम से ब्रांडिंग, मानकों और प्रमाणन, क्षमता निर्माण, पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना, कोल्ड-चेन सुविधाओं और मत्स्यन बंदरगाहों तथा मत्स्य लैंडिंग केंद्रों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर गुणवत्ता वृद्धि और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सहायता प्रदान करता है। विभाग ने मात्स्यिकी और जलकृषि में ट्रैसेबिलिटी संबंधी राष्ट्रीय रूपरेखा, 2025 भी जारी की है, और समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में डिजिटल ट्रैसेबिलिटी, पारदर्शिता और रिकॉर्ड-कीपिंग को मजबूत करने के लिए नभमित्र मोबाइल एप्लिकेशन के कार्यान्वयन को सुगम बना रहा है।

भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, सरकार ने विभिन्न नीतिगत सुधार और व्यापार सुगमता के उपाय किए हैं, जिनमें प्रमुख एक्वाकल्चर इनपुट पर सीमा शुल्क का युक्तिकरण, निर्दिष्ट समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इनपुट की शुल्क मुक्त आयात सीमा को पिछले वर्ष के FOB निर्यात मूल्य के 1% से बढ़ाकर 3% करना, आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाना, रेडी-टू-ईट समुद्री खाद्य उत्पादों पर GST को कम करना, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम, 2025 को अधिसूचित करना शामिल है। विभाग ट्रॉल नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TEDs) लगाने को भी बढ़ावा दे रहा है और सतत मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए मरीन मैमल प्रोजेक्ट को सहायता प्रदान कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने भी कई उपाय किए हैं जैसे कि APSADA अधिनियम, 2020 का कार्यान्वयन; सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं (BMPs) और जैव-सुरक्षा को बढ़ावा देना; राज्य मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (SIFT), काकीनाडा में NABL मान्यता प्राप्त परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना; और ट्रैसेबिलिटी, प्रमाणन तथा खाद्य-सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए MPEDA, EIC और ICAR संस्थानों के साथ मिलकर निकट समन्वय करना।

अपनी प्रमुख योजनाओं, नामतः प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) और प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PMMKSSY) के तहत, मत्स्यपालन विभाग कच्चे समुद्री खाद्य निर्यात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रसंस्कृत, ब्रांडेड और मूल्य संवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। कुल समुद्री खाद्य निर्यात में भारत के मूल्य संवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी विगत दशक में 2.5% से बढ़कर 11% हो गई है, जो 7,133 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। विभाग ने देश भर में कोल्ड-चेन, विपणन और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए PMMSY और FIDF के तहत 2,797 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान की हैं, जबकि MPEDA ने विशिष्ट मूल्य संवर्धित समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास (TDSVMP) योजना के तहत 89 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 118.10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। विभाग ने MPEDA, वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) और अन्य हितधारकों के सहयोग से मूल्य संवर्धन, बाजार विविधीकरण, गुणवत्ता अनुपालन, ट्रैसेबिलिटी और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विशाखापत्तनम में सीफूड निर्यातक की बैठक, हितधारक परामर्श, चिंतन शिविर, गोलमेज

सम्मेलन और समुद्री खाद्य निर्यात विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान, आंध्र प्रदेश के लिए कोल्ड-चेन, मूल्य संवर्धन, मत्स्य बाजारों, परिवहन, मत्स्यन बंदरगाहों, मत्स्य लैंडिंग केंद्रों, एकीकृत एक्वा पार्क और अन्य निर्यात-उन्मुख मात्स्यिकी अवसंरचना के विकास के लिए PMMSY के तहत 2,333.61 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 683.93 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश शामिल है। वर्तमान में, MPEDA या PMMSY के तहत विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए कोई अतिरिक्त केंद्रीय उपाय शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, राज्य में पात्र हितधारकों को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सहायता मिलना जारी है।

अनुलग्नक -I

मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देना के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी, श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, श्री राजकुमार चाहर और श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा पूछे गए **11** अगस्त, **2026** के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3756** के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

समुद्री खाद्य उत्पादों का मद-वार निर्यात (2023-24 से 2025-26) मात्रा: मीट्रिक टन (MT) में, मूल्य: करोड़ रुपये में				
विषय		**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
फ्रोज़न झींगा	**मात्र:**	716004	741529	7,92,647
	मूल्य:	40013.54	43334.25	49037.93
फ्रोज़न मत्स्य	**मात्र:**	381588	339692	3,55, 581
	मूल्य:	5509.69	5212.12	5658.37
फ्रोज़न कटलफ़िश	**मात्र:**	54316	59264	67157.00
	मूल्य:	2252.63	2394.26	2916.04
फ्रोज़न स्क्विड	**मात्र:**	93509	90370	102060.00
	मूल्य:	3061.46	3078.01	4493.80
ड्राइड आइटम	**मात्र:**	300966	252948	4,10,410
	मूल्य:	4070.60	2852.60	5079.09
लाइव आइटम	**मात्र:**	7585	7054	8587.00
	मूल्य:	397.84	468.01	545.62
चील्लड आइटम	**मात्र:**	35925	18744	13057.00
	मूल्य:	687.19	659.41	622.31
अन्य	**मात्र:**	191709	188570	222520.00
	मूल्य:	4530.92	4409.80	5537.31
कुल	**मात्र:**	1781602	1698170	19,72,018
	मूल्य:	60523.89	62408.45	73890.46

स्रोत: **MPEDA**

अनुलग्नक- II

मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देना के संबंध में 11 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी, श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, श्री राजकुमार चाहर और श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3756 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

सीफ़ूड उत्पादों (समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य) का बाज़ार-वार निर्यात				
	मात्रा: मीट्रिक टन में, मूल्य: करोड़ रुपये में			
बाज़ार	**इकाई**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
जापान	**मात्रा:**	107968	102933	105228
	मूल्य:	3279.4	3452.9	3963.36
अमेरिका	**मात्रा:**	329192	346868	279193
	मूल्य:	20892	22723	20263.27
यूरोपीय संघ	**मात्रा:**	192505	215080	297518
	मूल्य:	8461.6	9429.6	13935.29
चीन	**मात्रा:**	457215	396424	490369
	मूल्य:	11853	10668	14091.69
दक्षिण-पूर्व एशिया	**मात्रा:**	378630	347541	451756
	मूल्य:	7907.3	8172.2	11819.13
मध्य पूर्व	**मात्रा:**	75046	65956	76743
	मूल्य:	2238.8	2328.5	2466.34
अन्य	**मात्रा:**	241045	223369	271212
	मूल्य:	5891.4	5634.8	7351.39
कुल	**मात्रा:**	**1781602**	**1698170**	**1972018**
	मूल्य:	**60524**	**62408**	**73890.46**

स्रोत: **MPEDA**
